राहुल गांधी के जैकेट की कीमत को लेकर कांग्रेस-भाजपा की भिडंत

मेघालय में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के जैकेट के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है जहां प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए ''कालेधन वाली शूट बूट की सरकार'' कह कर तंज कसा। मेघालय की भाजपा इकाई ने अपने ट्वीट के साथ उसी तरह के जैकेट की तस्वीर जारी की जैसी संभवत: राहुल गांधी पहने हुए थे और इसके साथ उसकी कीमत 995 डालर (करीब 63000 रूपये) बतायी गई।

पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा कि व्यापक भ्रष्टाचार द्वारा मेघालय के सरकारी खजाने को चूसने के बाद राहुल गांधी जी ब्लैक मनी में सूट बूट की सरकार? आप हमारे दुखों पर गाना गाने की बजाय राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे सकते थे। आपकी यही उदासीनता हमारा मजाक उड़ाती है।% राहुल का मेघालय दौरा चुनावी है लेकिन उनके यहां आने के बाद उनके जैकेट को लेकर विवाद उठ गया है। दरअसल, राज्य में भाजपा ने राहुल गांधी की एक जैकेट को लेकर उन पर हमला बोला है।

राहुल के जैकेट को कालाधन से जोड़ने पर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार को राहुल गांधी पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भाजपा हताश हो गई है। रेणुका चौधरी ने मोदी सरकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति, रसोई गैस, सब्जियों की कीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बजाए, वह गैर महत्वपूर्ण विषयों को उठा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सूट पर अपना नाम उकेर कर उसे पहनते हैं, उन लोगों को ऐसी बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने उत्तराखंड चुनाव के दौरान अपने कुर्ते की फटी हुई जेब दिखाई थी और वह अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के सूट को लेकर सूट-बूट की सरकार का तंज कसते रहते हैं। इस बार जब राहुल 63 हजार की जैकेट में नजर आए तो भाजपा ने उन पर निशाना साध दिया।

पद्मावत पर खुले पत्र के पीछे कोई गलत मंशा नहीं-स्वरा

मुंबई-अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा है कि उन्होंने ''पद्मावत'' की आलोचना करते हुए एक खुला पत्र लिखा क्योंकि वह फिल्म के बारे में कुछ सवाल उठाना चाहती थीं। स्वरा ने पत्र में जौहर प्रथा के महिमामंडन के लिए संजय लीला भंसाली की आलोचना की थी जिसके बाद ऑनलाइन विवाद शुरू हो गया था। अभिनेत्री ने आलोचना पर कहा, ''हर किसी को आलोचना करने और अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मेरी तरह दूसरों को भी विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मैंने जो महसूस किया, मैंने वह बात रखी।''

उन्होंने मंगलवार शाम यहां एक समारोह में संवाददाताओं से कहा, ''मुझे लगता है कि मैंने काफी विनम्र एवं सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखी। मेरी मंशा खराब नहीं थी।'' अभिनेत्री ने कहा कि उनका मानना है कि उनके सवाल जायज थे और पूछे जाने चाहिए थे। स्वरा ने कहा, ''अगर लोग मुझसे सहमत नहीं हैं तो ठीक है। यह लोकतंत्र है, इसलिए अगर लोग समझते हैं कि विचारों का मतभेद हो सकता है तो अच्छा है। चर्चा और बहस होनी चाहिए। यही कला का उद्देश्य है।'' सोशल मीडिया पर वायरल हुए खुले पत्र में अभिनेत्री ने कहा था कि ''पद्मावत'' देखने के बाद उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व योनि मात्र तक सिमट कर रह गया है।

स्पाइसजेट 11 फरवरी से करेगी 20 नयी उड़ानों की शुरूआत

मंगलुरू-किफायती विमानन सेवाएं देने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने 11 फरवरी से 20 नयी घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य दक्षिण भारत में अपना नेटवर्क मजबूत करना है। कंपनी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि वह दक्षिण भारत में 18 नयी उड़ानें शुरू करेगी। इनमें से 10 उड़ानें आंध्र प्रदेश के पर्यटन स्थलों से संबंधित होंगी।इन उड़ानों की शुरूआत के बाद स्पाइसजेट कोलकाता-जबलपुर और बेंगलुरू-पुदुचेरी की रोजाना सीधी उड़ान संचालित करने वाली अकेली कंपनी बन जाएगी।

बयान में कहा गया कि मेट्रो शहरों को गैर-मेट्रो शहरों से जोड़ने वाली इन उड़ानों से उसकी क्षेत्रीय संपर्क योजना को संबल मिलेगा। कंपनी बेंगलुरू-राजमुंदरी, चेन्नई-मंगलुरू और गुवाहाटी-चेन्नई की रोजाना सीधी उड़ान शुरू करेगी। बेंगलुरू-तिरुपति के बीच मंगलवार को छोड़ रोजाना सीधी उड़ान रहेगी। कंपनी ने कहा कि वह इन मार्गों पर बॉमबार्डियर क्यू400 विमान से सेवा देगी। चेन्नई-गुवाहाटी मार्ग के लिए बोइंग 737 विमान का इस्तेमाल किया जाएगा।

आम्रपाली के मकान खरीदारों से और धन की मांग को रष्ट ने बताया धोखाधड़ी

नई दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली रियल इस्टैट समूह को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही में मकान खरीदारों से अतिरिक्त धन की मांग करने के अंतरिम रिजोल्यूशन प्रफेशनल (आईआरपी) के अनुरोध को आज 'खुल्लम-खुल्ला धोखाधड़ी' करार दिया। अंतरिम रिजोल्यूशन प्रफेशनल ने अपनी अर्जी में मकान खरीदारों से अतिरिक्त धन की मांग को न्यायोचित ठहराते हुये कहा कि उसे सिलिकान सिटी परियोजना के 21 टावरों में अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा उपकरण लगाने के लिये धन की जरूरत है। कंपनी की इस परियोजना में इस समय एक हजार से अधिक परिवार रह रहे हैं।

अंतरिम रिजोल्यूशन प्रफेशनल ने आम्रपाली समूह को दिवालिया घोषित करने के लिये कार्यवाही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा पिछले साल चार सितंबर को स्वीकार करने के बाद कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा, ''आप (आईआरपी) उन्हें ठगना चाहते हैं। यह तो खुल्लम-खुल्ला धोखाधड़ी है। आप मकान खरीदारों से और पैसा नहीं मांग सकते हैं। आपका अनुरोध आपत्तिजनक है। आप इस तरह की मांग नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी पहले ही अपनी गाढ़ी कमाई प्रमोटर्स को दे चुके हैं।''

पीठ ने कहा कि मकान खरीदारों को दोनों ही ओर से नुकसान में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने आईआरपी पर सवाल उठाते हुये कहा कि क्या वह कंपनी के साथ मिल तो नहीं गयी है। आईआरपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव बनर्जी ने कहा कि उन्हें अग्निशमन उपकरणों को लगाने के लिये 21 करोड़ रूपए की आवश्यकता है और यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें ही दोषी ठहराया जायेगा। उन्होंने कहा, ''हाल ही में 21 में से एक टावर में, जिसमे परिवार रह रहे हैं, आग लगने की घटना हुयी थी। जब हम हाल ही में वहां गये तो मकान खरीदारों ने गालियां दीं और धमकियां दीं। यदि धन नहीं होगा तो हमारे लिये काम करना ही मुश्किल हो जायेगा। कोई अन्य इस कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है।'' बनर्जी ने कहा कि आम्रपाली समूह पर कुल 2200 करोड़ रूपए का कर्ज है जबकि उनके पास बैंक खाते में सिर्फ डेढ़ करोड़ रूपए ही हैं जिसकी वजह से इसके कामकाज का प्रबंधन देखना असंभव है।

उन्होंने कहा, ''खाते में पैसे के बगैर हम इस परियोजना के 43 में से 21 टावरों में रहने वाले लोगों के लिये बुनियादी सुविधायें भी नहीं लगा सकते हैं। यदि हमें धन नहीं दिया गया तो किसी अन्य को कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।'' इस पर पीठ ने कहा कि धन की मांग करना कानून के अनुरूप नहीं होगा, हालांकि वे पूरे पैसे का भुगतान कर चुके हैं। पीठ ने कहा कि कुछ खरीदारों को तो पूरी राशि का भुगतान करने के बावजूद अभी अपने मकान का कब्जा भी नहीं मिला है। शीर्ष अदालत ने रियल इस्टेट फर्म को निर्देश दिया कि सभी रिहायशी टावरों में चार सप्ताह के भीतर अग्नि और विद्युत सुरक्षा उपकरण लगाये जायें और आईआरपी से कहा कि ऐसे काम करने से कंपनी को रोका नहीं जाये। न्यायालय लॉ ट्रिब्यूनल के पिछले साल चार सितंबर के आदेश को निरस्त करने के लिये मकान खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को वृद्धों की परवाह नहीं-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली-उच्चतम न्यायालय ने वृद्धाश्रमों की स्थिति को लेकर दायर याचिका पर अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा हलफनामे दाखिल नहीं करने पर आज अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि स्पष्ट है कि प्राधिकारियों को वृद्धजनों की कोई परवाह नहीं है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को सूचित किया गया कि 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने जवाब दाखिल किये हैं जबकि 11 अन्य को अभी हलफनामे दाखिल करने हैं।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इन 11 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो ने न तो हलफनामे दाखिल किये और न ही गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और केन्द्र शासित दमन एवं दीव तथा लक्षदीप के वकील ही सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये। पीठ ने आंध्र प्रदेश सहित इन सभी राज्यों को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामे दाखिल करने का अंतिम मौका दिया।

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार की जनहित याचिका पर पिछले साल सितंबर में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम की स्थिति के बारे में जवाब मांगा था। याचिका पर आज सुनवाई के दौरान कुमार ने पीठ से कहा कि वह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हलफनामो में दी गयी जानकारी को संकलित करके उसके समक्ष करेंगे। पीठ ने कहा कि वह विभिन्न सुझावों पर बिन्दुवार विचार करेगा क्योंकि अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के समान सुझाव हो सकते हैं।

पीठ इस याचिका पर अब 22 मार्चको आगे सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नवंबर, 2016 की रिपोर्ट का हवाला देते हुये पीठ ने कहा कि नालसा वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता योजना, 2016 जल्द से जल्द लागू की जानी चाहिए और यदि इसमे किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो प्राधिकारियों को इस पर गौर करके इसमें जरूरी बदलाव करने चाहिए।

महबूबा ने मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग की निंदा की

जम्मू-जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की मांग की आज निंदा की। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, ''जम्मू कश्मीर कभी भी हमारे देश के विभाजन में एक पक्ष नहीं था और न ही हमने धार्मिक आधार पर विभाजन का समर्थन किया। एक राज्य के रूप में हमने दूसरा विकल्प चुना, लेकिन दुर्भाग्य से अब भी कीमत चुका रहे हैं। मैं ऐसे किसी बयान की निंदा करती हूं जिसमें भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गयी हो।''

उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जाहिरा तौर पर उनका बयान जम्मू कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम के बयान के संदर्भ में है। नासिर उल इस्लाम ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि देश में मुस्लिम दयनीय जीवन जी रहे हैं और उन्हें भारत में अलग राज्य की मांग करनी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक-रवि कुमार पोत्दार, 72/74, सुयश विहार, भमोरी दुबे, इन्दौर से प्रकाशित एवं आर्टटेक ग्राफिस, 864/9, नेहरू नगर, इन्दौर म०प्र० से मुद्रीत
प्रधान संपादक-रवि कुमार पोत्दार आर.एन.आई. नम्बर-12782/2003 e-mail- censortimes@ hotmail.com Mob No-9926631707